मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली
मूल वाद संख्या-772/2022(एम0ए0-27/2024)
मोहन चन्द्र सती

बनाम्

उत्तराखण्ड सरकार।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड़ राज्य में मा0 हरित प्राधिकरण न्यायालय के आदेश दिनांक 19-11-2024 को निम्नांकित आदेश पारित किये गये है :-

ORDER

1. In this original application, based on a letter petition, applicant has raised the grievance against the non-construction of the requisite protection wall from Simbalkhal to SIDCUL for protecting flora and fauna of the reserved forest of Rajaji National Park and preventing illegal mining and stone crushing close to the said forest causing damage to the environment.

2. Further, plea of the applicant is that such a wall is necessary to prevent animal-human conflict and to protect the environment.

3. Report dated 15.11.2024 has been filed by the Divisional Forest Officer, Lansdowne Forest Division, Kotdwar, Uttarakhand.

4. DFO, Kotdwar, Uttarakhand present virtually today has informed that a decision has been taken by the State Government to construct the boundary wall in question. He has submitted that the joint survey for the demarcation of boundary of the forest for the construction of the boundary wall has been undertaken and Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas evam Nirman Nigam has been appointed as the working agency to carry out this work. In this regard, he has referred to annexure-9 (page 123) of the latest report filed by the State. He has further submitted that since the agency has been nominated, therefore, now the DPR will be prepared.

5. Report dated 15.11.2024 filed by DFO, Kotdwar states as under:

"**विशेष कथन**

मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम०ए०-27/2024) द्वारा सिम्बलखाल से सिडकुल तक सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आदेश दिनांक 19-02-2024 को पैरा संख्या-06 में प्रतिक्रिया की गयी है। जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक-3858/29-3 दिनांक 27-04-2024 को संलग्नक प्राक्कलन 1500 र०मी० हाथी सुरक्षा दीवार अनुमानित लागत रु० 2,67,22,000/- का भेजा गया, जबकि 1500 र०मी० के उपरान्त क्षेत्र में सिडकुल औद्योगिक इकाई क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है। यदि सिडकुल क्षेत्र में भी सुरक्षा दीवार बनायी जाती है, तदोपरान्त सिडकुल औद्योगिक इकाई दक्षेत्र एवं ग्रामीणों को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करने में सहायता प्राप्त होगी।".

6. In view of the statement made by DFO, Kotdwar, we dispose of the present misc. application with direction to the State and its authorities to expedite

the process of construction of boundary wall in question and file the action taken report before the Registrar General of the Tribunal immediately on completion of six months. If found necessary the matter will be listed before the Bench for consideration.

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित किये गये उपरोक्त आदेशों के अनुपालन में इस वन प्रभाग अन्तर्गत की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार हैः-

1- यह कि इस वन प्रभाग द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सम्बन्धित क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण हेतु उस क्षेत्र के अधिकारिता अधिकारी/उप जिलाधिकारी, कोटद्वार को पत्र लिखकर मा0 न्यायालय के आदेशों से अवगत कराया गया तथा समस्या का समाधान हेतु समिति का गठ्न कर संयुक्त सर्वेक्षण कार्य हेतु शीघ्र करवाने का समयान्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार को पृष्ठांकित किया गया। **पत्र दिनांक 23-12-2024 (संलग्नक-01)।**

2- यह कि कार्यालय उप जिलाधिकारी, कोटद्वार-गढ़वाल द्वारा मा0 हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 19-11-2024 में किये गये अनुपालन में दिनांक 23-12-2024 के पत्र का संज्ञान लेते हुए समिति का गठ्न कर प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किये जाने हेतु दिनांक 10-01-2025 से दिनांक 20-01-2025 तक की अवधि में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया गया। **पत्र दिनांक 01-01-2025 (संलग्नक-02)।**

3- यह कि सम्बन्धित क्षेत्र में मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पूर्व में व तत्समय में सर्वेक्षण कार्य स्वयं व राजस्व विभाग के साथ किया गया, जिसमें राजस्व विभाग के मानचित्र व वन विभाग के मानचित्रों में भिन्नता पायी गयी।

4- यह कि राजस्व विभाग व वन विभाग के मानचित्रों में भिन्नता होने के कारण स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायी जिसको स्पष्ट करने के लिए प्रभारी भू-लेख एवं बन्दोवस्ती, जिला-पौड़ी गढ़वाल को पत्र लिख कर भूमि बन्दोवस्त 1960 के पूर्व के मानचित्रों एवं दस्तावेजों की माँग की गयी। **पत्र दिनांक 31-01-2025 (संलग्नक-03)।**

5- यह कि बिन्दु संख्या-02 के अनुसार भू-लेख अधिकारी से माँगे गये भूमि बन्दोवस्त 1960 से पूर्व के मानचित्र दस्तावेजों की उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में अपना तर्क स्पष्ट किया गया कि सम्बन्धित ग्रामों के मानचित्र/दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। **पत्र दिनांक 03-02-2025 (संलग्नक-04)।**

6- यह कि इस वन प्रभाग के द्वारा मा0 न्यायालय के पारित आदेशों के अनुपालन हेतु आयुक्त राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून को पत्र व्यवहार कर वन विभाग की सीमा से लगे ग्राम- भूदेवपुर, मानदेवपुर, जयदेवपुर एवं दलीपपुर परगना भाबर, तहसील कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के भूमि बन्दोबस्त-1960 से पूर्व के मानचित्र व दस्तावेजों की सत्यापित प्रति की उपलब्धता करवाने के लिए पत्र लिखा गया। **पत्र दिनांक 06-02-2025 (संलग्नक-05)।**

7- यह कि आयुक्त राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा बिन्दु सं0-06 के क्रम में अवगत कराया गया है कि प्रकरण में परिषद द्वारा प्रभाग स्तर से माँगे गये दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु अपने पत्र संख्या-5666 दिनांक 13-02-2025 से जिलाधिकारी, हरिद्वार को राजस्व परिषद उत्तराखण्ड के जनपद-हरिद्वार में जिला कार्यालय में अवस्थित राज्य अभिलेखागार में उक्तांकित वर्णित राजस्व ग्रामों के 1960 से पूर्व के दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु आदेशित किया गया, जिसके क्रम में जिलाधिकारी, हरिद्वार के द्वारा पत्र संख्या-137/न्या0अधि0-2025 दिनांक 22-02-2025 से अवगत कराया गया कि पत्र में वर्णित ग्रामों के बन्दोवस्ती सजरा/मानचित्र एवं तत्समबन्धि दस्तावेज/खतौनी अभिलेखागार में भौतिक रूप से तलाश करने के उपरान्त भी प्राप्त/संचित नहीं पाया गया। **पत्र दिनांक 04-04-2025 (संलग्नक-06)।**

Kash

8– यह कि उप जिलाधिकारी, कोटद्वार को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के योजित मूल वाद संख्या–772/2022 मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 19-11-2024 के अनुपालन हेतु संयुक्त रूप से सिम्मलखाल से सिड़कुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण/सीमांकन कार्य किया गया है। संयुक्त सर्वेक्षण में सामने आयी कठिनाइयों के निराकरण के लिए दिनांक 27-03-2025 को प्रभाग अन्तर्गत अरण्य भवन पनियाली कोटद्वार में स्थानीय ग्रामीणों एवं जन-प्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बैठक आहूत की गयी, जिसमें सम्बन्धित अधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। **पत्र दिनांक 25-03-2025 एवं दिनांक 27-03-2025 (संलग्नक-07 व 08)।**

9– यह किमा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली के योजित मूल वाद संख्या–772/2022 मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 19-11-2024 के अनुपालन में सिम्मलखाल से सिड़कुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण के सम्बन्ध में उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-631/29-1 दिनांक 25-04-2025 से संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट/आख्या प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रभागीय कार्यालय में उपलब्ध करवायी गयी है। **पत्र दिनांक 25-04-2025 (संलग्नक-09 व 10)।**

10– यह कि मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में तीव्रता लाने के सम्बन्ध में इस वन प्रभाग से शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को सिम्मलखाल से सिड़कुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। **पत्र दिनांक 29-04-2025 (संलग्नक-11)।**

11– यह कि इस वन प्रभाग के द्वारा बिन्दु सं0-09 में शासन द्वारा नामित कार्यदायी संस्था के माध्यम से सिम्बलखाल से सिड़कुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार कर इस वन प्रभाग को प्रेषित किया गया। जिसके सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही गतिमान है। **पत्र दिनांक 22-05-2025 (संलग्नक-12)।**

विशेष कथन

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में पारित आदेश दिनांक 19-11-2024 के आदेशों के अनुपालन में इस वन प्रभाग द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर तत्समय कार्यवाही की गयी है।

22/5/26

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)

सलग्नक-01

Tel/Fax No. 01382-228467
E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

उत्तराखण्ड राज्य

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः-2091 /12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 23 / 12 / 2024.

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
कोटद्वार-गढ़वाल।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- इस कार्यालय का पत्रांक-1225/12-1 दिनांक 08-11-2024 एवं पत्रांक-1577/29-1 दिनांक 14-11-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 19-11-2024 को मा0 न्यायालय द्वारा विभाग का पक्ष सुनने के पश्चात् आदेश पारित किया गया, जिसकी छायाप्रति आपको संलग्न कर प्रेषित है। उक्त आदेश के बिन्दु सं0-06 में उल्लिखित "*In view of the statement made by DFO, Kotdwar, we dispose of the present misc. application with direction to the State and its authorities to expedite the process of construction of boundary wall in question and file the action taken report before the Registrar General of the Tribunal immediately on completion of six months. If found necessary the matter will be listed before the Bench for consideration.*"

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा सिम्बलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में पूर्व में भी राजस्व एवं वन विभाग द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण किया गया था, परन्तु उक्त सर्वेक्षण कार्य/नपत पूर्ण नहीं हो पाया, जिस कारण विस्तृत संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकी। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा कुल 1500 रनिंग मीटर हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही हेतु छः माह का समय नियत किया है।

अतः प्रकरण की महत्वता को मध्यनजर रखते हुए उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण के शीघ्र निस्तारण व राजस्व एवं वन भूमि की सीमा स्पष्ट किये जाने हेतु अपने स्तर से समिति का गठन कर संयुक्त सर्वेक्षण शीघ्र-अतिशीघ्र पूर्ण करवाने का कष्ट करें, ताकि प्रभाग स्तर से समयान्तर्गत अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 2091 /12-1 ,दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त उत्तराखण्ड, देहरादून।

2- जिलाधिकारी गढ़वाल, पौड़ी।

3- उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, कोटद्वार।

4- वन क्षेत्राधिकारी, लालढ़ांग को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप प्रश्नगत क्षेत्र का स्वयं की उपस्थिति में दीवार निर्माण का स्थलीय निरीक्षण भली-भाँति कर सूचना अतिशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

सलग्नक-02

कार्यालय उपजिलाधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल।

Office E-mail sdm.kdr@gmail.com फोन–01382–222154

संख्या–1537/एस0पी0ए0–24 (संयुक्त निरीक्षण) कोटद्वार दिनांक–01 जनवरी–2025

प्रेषित,

1– श्री सरदार सिंह चौहान, नायव तहसीलदार, कोटद्वार।
2– श्री अतर सिंह, राजस्व निरीक्षक, कोटद्वर। मो0–8279930197
3– श्री विनोद जोशी, राजस्व उपनिरीक्षक, हल्दूखाता। मो0–7055254180
4– श्री हषवर्धन नौटियाल, राजस्व उपनिरीक्षक, गोटाढाक। मो0–7830787473

विषय– सिम्बलखाल से रिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किए जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–1525/9–1 दिनांक–08.11.2024 के द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या–772/2022 श्री मोहन चन्द्र सती वनाम उत्तराखण्ड राज्य के संवंधित में दिनांक–19.02.2024 को पारित आदेश के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या–1484 दिनांक–11 नवम्वर, 2024 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक–13 नवम्बर, 2024 को समय–10:30 वजे की तिथि की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–1577/29–1 दिनांक–14.11.2024 के द्वारा पत्र प्रेषित करते हुए उल्लेख किया गया है कि तद्दिनांक को संयफक्त निरीक्षण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी गयी है, जिसमें उनके द्वारा नजदीकी तिथि निर्धारित कर संबंधितों को संयुक्त निरीक्षण करने के लिए निर्देशित करने का उल्लेख किया गया है। जिसके क्रम में संयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक–16 नवम्बर, 2024 की तिथि नियत की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–2091/12–1 दिनांक–23.12.2024 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किए जाने हेतु समिति गठित करने का उल्लेख किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किए जाने हेतु दिनांक–10 जनवरी–2025 से 20 जनवरी–2025 तक की अवधि में संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही करते हुए अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न– यथोपरि।

(सोहन सिंह सैनी)
उपजिलाधिकारी,
कोटद्वार।

प्रतिलिपि–1– प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– उप प्रभागीय वनाधिकारी, उपवन प्रभाग, कोटद्वार को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित टीम से समन्वय स्थापित कर संयुक्त निरीक्षण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

01.1.25

उपजिलाधिकारी,
कोटद्वार।

सलग्नक-03

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382-228467 E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः-2566 /12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 31 : 01 : 2025.

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
भू-लेख एवं बन्दोवस्ती,
जिला-पौड़ी गढ़वाल।

विषयः- **मानचित्र/दस्तावेज उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि इस प्रभाग की आरक्षित वन भूमि से लगी नापभूमि **ग्राम-भूदेवपुर, देवरामपुर, मानदेवपुर एवं जयदेवपुर, दलीपपुर, परगना भाबर,** तहसील-कोटद्वार, जनपद- पौड़ी गढ़वाल के भूमि बन्दोबस्त-1960 से पूर्व के मानचित्रों/दस्तावेजों की आवश्यकता है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त ग्रामों के मानचित्रों/दस्तावेजों की सत्यापित प्रति **उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।**

भवदीय

(हस्ताक्षर)
(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

(हस्ताक्षर) 03/02/2025

011

सलग्नक - 4

।। भूमि प्रबन्धन कार्यालय पौड़ी ।।

संख्या ०। /भू0प्र0कार्या0 /2025—26 दिनांक पौड़ी फरवरी 03 ,2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषय– मानचित्र/दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्र संख्या 2566/12—1दिनांक कोटद्वार 01, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि आरक्षित वन भूमि से लगी नाप भूमि ग्राम–भूदेवपुर,देवरामपुर,मानदेवपुर एंव जयदेवपु,दलीपपुर परगना भाबर तहसील कोटद्वार जनपद पौड़ी गढवाल के भूमि बन्दोबस्त 1960 से पूर्व के मानचित्र/दस्तावेजो की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त क्रम में अवगत कराना है कि उक्त ग्रामो से सम्बन्धित मानचित्र/दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नही है।

भवदीय,
03/2/2025
पेशकार
भूमि प्रबन्धन कार्यालय
पौड़ी।

सलग्नक -05

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
Tel/Fax No. 01382-228467
E-mail- dfo_lansdowne@yahoo.com

उत्तराखण्ड राज्य

पत्रांकः-2717/12-1, दिनांक, कोट्द्वार, 06/02/2025.

सेवा में,

आयुक्त राजस्व परिषद,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- **मानचित्र/दस्तावेज उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 19-11-2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 में दिनांक 19-11-2024 को मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया कि *"In view of the statement made by DFO, Kotdwar, we dispose of the present misc. application with direction to the State and its authorities to expedite the process of construction of boundary wall in question and file the action taken report before the Registrar General of the Tribunal immediately on completion of six months. If found necessary the matter will be listed before the Bench for consideration."*

उक्त के क्रम में वन विभाग की सीमा से लगे ग्राम-भू देवपुर, मानदेवपुर, जयदेवपुर एवं दलीपपुर परगना भाबर, तहसील-कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के भूमि बन्दोवस्त 1960 से पूर्व के मानचित्र एवं दस्तावेजों की सत्यापित प्रति की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्तानुसार वर्ष 1960 से पूर्व के मानचित्र एवं दस्तावेजों की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

भवदीय

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

O/C

सलग्नक - 06

राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड
मुख्यालय–रिंग रोड, मसूरी बाईपास, लाडपुर, देहरादून–248008
Email-boardofrevenue-uk@gov.in, Phone No.-0135-2669415, Fax:0135-2669384

पत्रांक– 59 /IV–172/रा0प0/2017–18(24) दिनांकः 04 अप्रैल, 2025

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषयः– मानचित्र/दस्तावेज उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः– 2717/12–1, दिनांक 06 फरवरी 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्याः–772/2022 में दिनांक 19–11–2024 को मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में वन विभाग की सीमा से लगे ग्राम भू–देवपुर, मानदेवपुर, जयदेवपुर एवं दलीपपुर परगना भावर, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल के भूमि बन्दोबस्त 1960 से पूर्व के मानचित्र एवं दस्तावेजों की सत्यप्रति उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में परिषद् के पत्र संख्याः–5666/ दिनांक 13 फरवरी 2025 से जिलाधिकारी हरिद्वार को राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के जनपद हरिद्वार में जिला कार्यालय में अवस्थित राज्य अभिलेखागार से उक्तांकित वर्णित राजस्व ग्रामों के 1960 से पूर्व के बन्दोबस्ती मानचित्र व दस्तावेज/खतौनी की प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके कम में जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय पत्र संख्याः–137/न्या0अधि0/2025 दिनांक 22 फरवरी 2025 से अवगत कराया गया है कि वर्णित ग्रामों के बन्दोबस्ती सजरा/मानचित्र एवं तत्सम्बन्धी दस्तावेज/खतौनी अभिलेखागार में भौतिक रूप से काफी तलाश करने उपरान्त भी प्राप्त/संचित होना नहीं पाया गया।

अतः उपरोक्त के कम में अवगत कराना है कि आपके उक्तांकित पत्र में वर्णित राजस्व ग्रामों के मानचित्र/दस्तावेज राजस्व परिषद् के राज्य अभिलेखागार में प्राप्त/संचित न होने सम्बन्धी जिलाधिकारी, कार्यालय हरिद्वार के उक्तांकित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(के0के0 डिमरी)
सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशा0)

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून को आयुक्त एवं सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कार्यालय प्रति।

सहायक राजस्व आयुक्त (प्रशा0)

संलग्नक-07

dfo_lansdowne@yahoo.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक :- 3306/29-3 , दिनांक, कोटद्वार, 25/03/, 2025

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
कोटद्वार।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 19.11.2024 को आदेश पारित किया गया हैः-

ORDER

1. In this original application, based on a letter petition, applicant has raised the grievance against the non-construction of the requisite protection wall from Simbalkhal to SIDCUL for protecting flora and fauna of the reserved forest of Rajaji National Park and preventing illegal mining and stone crushing close to the said forest causing damage to the environment.
2. Further, plea of the applicant is that such a wall is necessary to prevent animal-human conflict and to protect the environment.
3. Report dated 15.11.2024 has been filed by the Divisional Forest Officer, Lansdowne Forest Division, Kotdwar, Uttarakhand.
4. DFO, Kotdwar, Uttarakhand present virtually today has informed that a decision has been taken by the State Government to construct the boundary wall in question. He has submitted that the joint survey for the demarcation of boundary of the forest for the construction of the boundary wall has been undertaken and Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas evam Nirman Nigam has been appointed as the working agency to carry out this work. In this regard, he has referred to annexure-9 (page 123) of the latest report filed by the State. He has further submitted that since the agency has been nominated, therefore, now the DPR will be prepared.
5. Report dated 15.11.2024 filed by DFO, Kotdwar states as under:-

"विशेष कथन

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0 ए0-27/2024) द्वारा सिम्बलखाल से सिडकुल तक सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आदेश दिनांक 19.02.2024 को पैरा संख्या- 06 में प्रतिक्रिया की गयी है।

जिसके अनुपालन में इस कार्यालय के पत्रांक-3858/29-3 दिनांक 27.04.2024 को संलग्नक प्राक्कलन 1500 र0मी0 हाथी सुरक्षा दीवार अनुमानित लागत रू0 2,67,22,000/- का भेजा गया, जबकि 1500 र0 मी0 के उपरान्त क्षेत्र में सिडकुल औद्योगिक इकाई क्षेत्र प्रारम्भ हो जाता है। यदि सिडकुल क्षेत्र में भी सुरक्षा दीवार बनायी जाती हैं, तदोपरान्त सिडकुल औद्योगिक इकाई दक्षेत्र एवं ग्रामीणों को मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को न्यून करनें में सहायता प्राप्त होगी।"

P.T.O

P.T.O

O/C

2. In view of the statement made by DFO, Kotdwar, we dispose of the present misc. application with direction to the State and its authorities to expedite the process of construction of boundary wall in question and file the action taken report before the Registrar General of the Tribunal immediately on completion of six months. If found necessary the matter will be listed before the Bench for consideration.

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के उपरोक्त आदेशानुसार संयुक्त रूप से सिमबलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण के सम्बन्ध में सर्वे सीमाकंन का कार्य किया गया है।

यह कि इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में **अरण्य भवन पनियाली वन परिसर कोट्द्वार में एक बैठक दिनांक 27.03.2025** को समय **प्रातः 11:00** बजे रखी गयी है, जिसमें क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कास्तकारों, ग्रामीणों व अन्य जन प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित किया जाना है जिसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

अतः आप नियत तिथि को आहूत बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांकः- 3306/29-3 ,दिनांकित।
प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, कोटद्वार।
2. वन क्षेत्राधिकारी, लालढ़ांग।
3. स्थानीय कास्तकारों, ग्रामीणों व अन्य जनप्रतिनिधियों :-द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, लालढ़ाग।

(आकाश गंगवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

संलग्नक -08

आज दिनांक 27-3-2025 को सिम्बलखाल से सिडकुल तक होने वाली सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु आने वाले समस्या हेतु राजस्व विभाग, वन विभाग एवं ग्रामीणो काश्तकारो के उपस्थिति मे बैठक आहूत की गई जिसमे ~~निम्नलिखित~~ उपस्थित अधिकारीयो, कर्मचारीयो एव काश्तकारो के नाम व हस्ताक्षर निम्नवत है।

1- उपप्रभागीय वनाधिकारी कोटद्वार

2- वन क्षेत्राधिकारी लालढांग

3- प्रभागीय सर्वेयर, लो०न०डो०वन प्रभाग कोटद्वार -

4- नायब तहसीलदार

5- राजस्व उपनिरीक्षक -

RSI

6. प्रकाश जोशी -

7 हरिदत्त -

(8) लोकपाल सिंह रावत

(9) चन्द्र प्रकाश

(10) जानकी देवी

(11) नन्दी देवी

(12) विजयालक्ष्मी

(13) जयपाल सिंह रावत वन दरोगा

(14) मनोज लखेड़ा वन बीट अधिकारी

 सलग्नक -09

कार्यालय–उप प्रभागीय वनाधिकारी, कोटद्वार उप वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक- 631 /29-1 कोटद्वार,दिनांक 25.04.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या- 772/2022 (एम0ए0संख्या- 27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- आपका पत्रांक- 1357/29-1 दिनांक 23.10.2024 तथा 2253/29-1 दिनांक 07.01.2025.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में अवगत कराना है कि श्री मोहन चन्द्र सती बनाम् उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2024 को पारित आदेश के अनुपालन में लालढांग रेंज अन्तर्गत सिम्बलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग एवं वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया गया।

अतः प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट मूल में संलग्न कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
कोटद्वार उप वन प्रभाग, कोटद्वार।

संलग्नक -10-1

संयुक्त निरीक्षण आख्या

आज दिनांक 13/02/2024 को मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकारण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद सं0-772/2022(एन0ए0सं0 27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 19/0222024 के अनुपालन में सिम्बलखाल से सिडकुल तक बनने वाली हाथी सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु उप जिलाधिकारी कोटद्वार द्वारा उक्त संयुक्त निरीक्षण कार्य हेतु अपने कार्यालय पत्रांक 1484/-24(संयु0नि0) दिनांक 11.11.2024 द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 13/1122024 को भू-अभिलेखों तथा वन विभाग के अभिलेखों के आधार पर राजस्व विभाग के साथ निरीक्षण/तरदीक की गई। राजस्व अभिलेखों एवं धारा-20 हेतु जारी अधिसूचना सं0 938/1 सी0-236-सी0/1948 दिनांक 31/03/1951 द्वारा धारा-4 के अंतर्गत अधिसूचित (पांपीडांडा खाम) का मिलान कर पूर्व में निर्मित हाथी सुरक्षा दीवार के प्रारम्भ बिन्दु जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार खसरा सं0-118 के कोने पर स्थित है, से सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया। जिसकी खेत सं0-02 तक कि दूरी 487 मी0 (अभिलेखों के अनुसार राजस्व) है। जिसकी जी0पी0एस0 लोकेशन 29°47'39.28"N 78°22'47.69"E है। तत्पश्चात राजस्व अभिलेखों के अनुसार खेत संख्या-2 से पूरब की ओर 120 मी0, पर खेत संख्या 2 की सीमा समाप्त होती है, जिसके बांई ओर आरक्षित वन क्षेत्र है। पुनः पूर्व निर्मित हाथी सुरक्षा दीवार जहां से प्रारम्भ होती है से नपत प्रारम्भ करते हुये खेत संख्या-5 के प्रारम्भिक बिन्दु से 108 मी0, 100 मी0 की दूरी पर निशानदेही की गयी व खेत संख्या 15 कि सीमा से आगे की ओर 100 मी0 जिसकी भू-अभिलेखों के अनुसार स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 680 मी0 है चिन्हित किया गया। खेत संख्या 15 से 100 मी0 की दूरी पर सीमा चिन्हित की गई जिसकी भू-अभिलेखों के अनुसार स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 688 मी0, 100 मी0 की दूरी पर स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 700 मी0 व 30 मी0 की दूरी पर स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 700 मी0 है। खेत संख्या 15 की सीमा से 50 मी0 की दूरी पर आगे की ओर स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 755 मी0 निशानदेही की गयी। उक्त सर्वेक्षण कार्य पूर्व निर्मित हाथी सुरक्षा दीवार से केवल 708 मी0 तक ही सर्वेक्षण कार्य किया गया। शेष सर्वेक्षण कार्य हेतु कार्यालय उप जिलाधिकारी कोटद्वार अपने पत्रांक 1537/एस0पी0ए0-24 (संयु0नि0) दिनांक 01.01.2025 द्वारा समिति गठित कर पुनः सयुक्त निरीक्षण हेतु दिनांक 10.01.2025 से 20.01.2025 तक की तिथि निर्धारित की गई। उक्त के अनुपालन में दिनांक 10.01.2025 को राजस्व व वन विभाग के कर्मिकों के विषयक सिम्बलखाल से सिडकुल तक बनने वाली शेष हाथी सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया।

विदित है कि ग्राम भूवदेवपुर से ग्राम किशनदेवपुर तक खातेदारों की भूमि के अंतिम सीमा पश्चात हाथी सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में राजस्व व वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार खसरा संख्या-16/123 के मध्य से 50 मी0 की दूरी पर आगे की ओर सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया जिसकी स्थायी चिन्ह सडक से दूरी 520 मी0 है। खसरा संख्या-19/124 की सीमा से पूरब की ओर 100 मी0 जिसकी भू-अभिलेखों के अनुसार स्थायी चिन्ह सडक से दूरी लगभग 536 मी0 है, चिन्हित किया गया। ग्राम दलीपुर के 0.7=28 मी0 पर गुल/खेत संख्या-03 की बाउड्री व उसके पश्चात खेत संख्या 3 की सीमा (3.4 से0मी0) 136 मी0 तक है, व उसके बाद 56 मी0 तक बंजर भूमि दर्ज है। 16 मी0 पूरब की ओर जाने पर खेत संख्या-10 की बाउड्री शुरू होती है जिसके कोने से उतर की ओर 140 मी0 तक नापखेत व तत्पश्चात 48 मी0 तक बंजर भूमि है। खेत संख्या-10 से 119 द0पू0 की ओर 28 मी0 के बाद उतर की ओर 124 मी0 तक नाप खेत व उसके पश्चात (1.2) 48 मी0 तक बंजर. भूमि है। खेत संख्या-10 की सीमा से 122 द0पू0 की ओर 56 मी0 के बाद उतर दिशा की ओर 196 मी0 तक नाप खेत व उसके पश्चात 56 मी0 तक वंजर भूमि है। खेत संख्या-11 के सीमा से 84 मी0 द0 पू0 की ओर के बाद उतर दीशा की ओर 180 मी0 तक नापखेत व उसके पश्चात 32 तक बंजर भूमि है। खेत संख्या-14 के सीमा से 48 मी0 उ0 पू0 की ओर से उतर दीशा में 140 मी0 तक नापखेत तक उसके पश्चात 20 तक बंजर भूमि है। खेत संख्या-15 से 116 मी0 उ0पू0 की ओर से उतर दीशा में 120 मी0 तक नापखेत तक उसके पश्चात 40 मी0 तक बंजर भूमि है। खेत संख्या-17 से 40 मी0 पू0 की ओर से 68 मी0 तक नापखेत व उसके पश्चात 4 मी0 तक बंजर भूमि है। खेत संख्या-18 से 120 मी0 पू0 की ओर से 188 मी0 उतर की ओर तक नाप भूमि है। खेत संख्या-27 से 124 मी0 पू0 की ओर से 184 मी0 तक नापभूमि है। ग्राम-मानदेवपुर खेत संख्या-02 की सीमा से उतर

ए.लग्नक-10-2

की ओर 184 मी0 तक खेत संख्या 2 की सीमा हैं व खेत संख्या 2 से 65 उ0पू0 ओर 120 मी0 से उत्तर की ओर 108 मी0 तक नापखेत है। जिसका लगभग 22 मी0 खेत कटा है। खेत संख्या-2 की सीमा से उ0पू0 की ओर 52 मी0 जाने पर खेत सं0 6 की सीमा शुरू होती है, जिसमें 88 मी0 उतर तक नापखेत है व 88 मी0 उतर के बाद 61 Degree उत्तर पू0 की ओर जाने पर खेत सं0 3 की सीमा लगती है। खेत संख्या 6 की खेत संख्या 7 से पू0 की ओर 44 मी0 से 92 मी0 उत्तर की ओर तक नापखेत है। खेत संख्या-3 से 89 Degree पू0 में 124 मी0 तक जाने पर खेत संख्या 3 की सीमा समाप्त है। जिसकी खेत संख्या 7 से उ0 की ओर दूरी 92 मी0 है। ग्राम भुपदेवपुर, जयदेवपुर, मनदेवपुर, दलीपुपर, एंव किशनदेवपुर में खातेदारों के नापखेतों की मौके पर नपत कर सीमा निर्धारित की गई नापखेतों के उत्तर दिशा में सिगड्डी स्रोत स्थित है। जो वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार प्रभाग की लालढांग रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र सिगड्डी कक्ष संख्या 20अ के अन्तर्गत है व ग्राम भुपदेवपुर, जयदेवपुर, मनदेवपुर, दलीपुपर, एंव किशनदेवपुर में राजस्व विभाग के बंदोबस्ती नक्शा 1960 में सिगड्डी नदी दर्ज है। जो राजस्व भू-अभिलेखों में श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त संयुक्त निरीक्षण में खातेदारों की ग्राम (सिम्बलखाल) भूपदेवपुर की ग्राम जयदेवपुर, किशनपुर सिडकुल तक व बंजर भूमि की सीमा पश्चात हाथी सुरक्षा दीवार/बाउण्ड्री वॉल हेतु भूमि चिन्हित की गई है।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

<u>संलग्न-ः उपरोक्तानुसार</u>

R. I. (K.)
नायब तहसीलदार कोटद्वार
वन क्षेत्राधिकारी लालढांग रेंज
सर्वेयर लै० व० प्रभा०, कोटद्वार

(जयपालसिंह) व०प०
(मनोज लखेड़ा) व० आ०
SDO. Kotdwara

सलग्नक-11

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382.228467
E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

पत्रांकः- 3694/12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 29 / 04/ 2025

सेवा मे

अधिसाशी अभियन्ता,
पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
कोटद्वार-गढ़वाल।

विषयः- सिम्बलखाल से सिडकुल तक हाथी सुरक्षा दीवार निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः- उत्तराखण्ड शासन का कार्यालय ज्ञाप संख्या-1954/X-2/2024-12(37)/2024(E-78988), दिनांक-29.10.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित आदेश के क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल वाद संख्या-772/2022 (एम0ए0 संख्या-27/2024) श्री मोहन चन्द्र सती बनाम उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा निम्नवत आदेश पारित किया गया है।

आदेश दिनांक 19.11.2024: **In view of the statement made by DFO, kotdwar we dispose of the present misc.application with direcation of the state and its authorities to expedite the process of constructionof boundary wall in question and file the action taken report before the Register General of the tribunal immediately on completion of six month. If found necessary the matter will be listed before the bench for consideration.**

संज्ञान में लाना है कि, विषयगत प्रकरण हेतु उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1954/X-2/2024-12(37)/2024(E-78988), दिनांक-29.10.2024 द्वारा "उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम" को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। जिस हेतु प्रश्नगत कार्य के क्रियान्वयन के लिये प्रस्तावित स्थल का स्थलीय निरीक्षण कराते हुए डी0पी0आर0/प्रस्ताव तत्काल प्रभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि तद्‌दानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(आकाश गंगवार)
उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 3694 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि- उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, कोटद्वार को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- वन क्षेत्राधिकारी, लालढांग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप स्वयं कार्यदायी संस्था के अधिकारी एवं कर्मचारी से समन्व स्थापित करते हुए डी0पी0आर0 गठित करने से पूर्व विषयगत प्रकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का मौका निरीक्षण करवाते हुए सूचना उचित माध्यम द्वारा प्रभागीय कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(हस्ताक्षर)
(आकाश गंगवार)
उप वन संरक्षक,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

o/c

संलग्नक-12

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक,
अस्थाई निर्माण इकाई,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम, 102 कण्डोलिया,
देवप्रयाग मोटर मार्ग, क्यूँकालेश्वर
पौड़ी गढ़वाल 246001

दूरभाष :– 01368–221293
फैक्स :– 01368–221293
ई0मेल:–pm.projectmanager2@gmail.com

पत्रांक 350 / जी0–06 / 37 दिनांक 22.05.2025

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लेंसडाउन वन प्रभाग,
कोटद्वार।

विषयः– *आगणन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आदेशों के अनुपालन में Construction of elephant protection wall in Laaldhang Range from Simbalkhal to Sidcul (Sigaddi Kaksh No. 20-A) Under Lansdowne Forest Division, Kotdwar के निर्माण कार्य का आगणन आपको अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नकः– *उपरोक्तानुसार।*

भवदीय

परियोजना प्रबन्धक